न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री दिनेश कुमार पुत्र सकाराम जी, जाति-मेघवाल, निवासी-सनपुर, तह. व जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, सनपुर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, सनपुर, तहसील व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 08/2019

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री पदमाराम चौहान, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 11 अक्टूम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, सनपुर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, सनपुर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना किये जा रहे निर्माण कार्य को बन्द करने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं.स./2019/SP 1 दिनांक 13.3.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। अत: अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सनपुर का प्रार्थी स्थाई निवासी है तथा खेती का कार्य कर प्रार्थी अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यह कि ग्राम सनपुर की आबादी भूमि में प्रार्थी का पुराने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है, जो ग्राम सनपुर में रेबारी वास में स्थित है। उक्त आवासीय भूखण्ड़ की चतुर्दशी अनुसार उत्तर दिशा में नेतीराम पुत्र बाबराजी का मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में पड़त व पश्चिम दिशा में सामुदायिक भवन स्थित है व भूखण्ड का नाम उत्तर में चौडाई में 17 फीट, दक्षिण में चौडाई में 17 फीट, पूर्व में लम्बाई में 27 फीट व पश्चिम में लम्बाई में 27 फीट कुल 459 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है, बल्कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे व मालकी स्वामित्व का है जिसके मौके पर प्रार्थी ने नीवं लेवल से 2-3 फीट उपर तक चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया है व भूखण्ड़ में प्रार्थी के पत्थर व निर्माण सामग्री भी पड़े हुए है। प्रार्थी द्वारा अपने पुश्तैनी कब्जे मालकी स्वामित्व के उक्त भूखण्ड़ पर पशुओं का चारा इत्यादि हर वर्ष रखते है। प्रार्थी द्वारा

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उक्त भूखण्ड़ का उपयोग व उपभोग अपने पूर्व रसाधिकारियों के जरिये निर्बाध रुप से करता आ रहा है, जिसकी जानकारी आमजन व ग्राम पंचायत, सनपुर के पदाधिकारियों को है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत, सनपुर में कई बार आवेदन किया तथा शिविरों में भी आवेदन किया, लेकिन ग्राम पंचायत, सनपुर ने प्रार्थी को उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी नही किया। ग्राम पंचायत, सनपुर ने प्रार्थी का उक्त भूखण्ड़ पर अतिक्रमण मानकर सीधा हटाने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत नही है। ग्राम पंचायत, सनपुर ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। ग्राम सनपुर में कई व्यक्तियों के पास भूखण्ड़ के पट्टे नही है, लेकिन ग्राम पंचायत, सनपुर ने बदनियति पूर्वक प्रार्थी के विरुद्ध ही कार्यवाही की है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का आबादी भूमि में स्वत्व का दावा न्यायसंगत है तथा मौके पर कोई अतिचार है तो ऐसे भूखण्ड का पंचायत द्वारा बाजार दर राशि वसूल कर पट्टा जारी किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में भी अतिक्रमित आबादी भूमि का प्रचलित बाजार दर पर नियमन करने का प्रावधान है। प्रार्थी अपने उक्त पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के भूखण्ड़ का ग्राम पंचायत में बाजार दर अदा कर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। ग्राम पंचायत, सनपुर को प्रार्थी उक्त भूखण्ड की नियमानुसार राशि अदा करने हेतु तैयार है। अत: प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर उक्त नोटिस को निरस्त करते हुए प्रार्थी को उक्त नियम 156 व 165(4) के तहत के तहत बाजार दर पर पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत, सनपुर को निर्देशित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सनपुर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा ग्राम सनपुर में ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना किये जा रहे निर्माण कार्य को बन्द करने व ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त कर ही निर्माण कार्य शुरु करने के संबंध एक नोटिस दिनांक 13.3.2019 को जारी किया गया है, लेकिन प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, सनपुर में उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत किये बिना ही उक्त नोटिस को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन अप्रार्थी के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत किया है, जो परिपोषणीय नही है। यदि प्रार्थी का विवादित भूखण्ड पर पुश्तैनी कब्जा है और प्रार्थी स्वयं को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अर्न्तगत प्रचलित बाजार दर पर विवादित भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने का पात्र मानता है तो इस हेतु प्रार्थी को ग्राम पंचायत, सनपुर में उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर विवादित भूखण्ड़ का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत, सनपुर को नियमानुसार आवेदन करना चाहिये तथा प्रार्थी के आवेदन का ग्राम पंचायत, सनपुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत विधि सम्मत निस्तारण करना चाहिये।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

11.10.2019

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.13 13:35:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: